

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 मार्च, 2009 ई0 फाल्गुन 25, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 131/XXXVI(3)/2009/11(1)/2009 देहरादून, 16 मार्च, 2009

अधिसूचना विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 09 मार्च, 2009 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) अधिनियम,

(अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2009)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत के गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत्

ा. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आमोद और संक्षिप्त नाम और पणकर अधिनियम, 1979) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है। प्रारम्म

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (अधिनियम संख्या 28, सन् 1979) जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (च) के पश्चात् एक नया खण्ड (च च) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात :-

"(च च) 'डायरेक्ट-टू-होम (डी०टी०एच०) प्रसारण सेवा' से ऐसी मल्टी चैनल प्रोग्राम वितरण सेवा अभिप्रेत है, जो सीघे उपभोक्ता के परिसर में बिना किसी मध्यस्थ जैसे केबिल ऑपरेटर के एक उपग्रह व्यवस्था से जुड़ी है;"

धारा 2 के खण्ड (छ) का प्रतिस्थापन 3. मूल अधिनियम की घारा 2 के खण्ड (छ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-

"(छ) 'मनोरंजन' में डायरेक्ट, — टू—होम (डीoटीoएचo) प्रसारण सेवा तथा कोई प्रदर्शनी, प्रस्तुतिकरण, आमोदन, क्रीडा, खेलकूद या दौड़ (घोड़ा दौड़ भी) है जिसमें अदायगी करने पर व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है और चलचित्र प्रदर्शनी की दशा में इसमें न्यूज—रील, वृत्तचित्र, कार्टून, विज्ञापन, शॉट या स्लाइड का प्रदर्शन भी है, चाहे उन्हें किसी फीचर फिल्म के प्रदर्शन से पहले या उसके दौरान या पृथकतः प्रदर्शित किये जाये;"

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल, सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979) (Amendment) Bill, 2009 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 04 of 2009):--

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09^{Th} March, 2009--

No. 131/XXXVI(3)/2009/11(1)/2009 Dated Dehradun, March 16, 2009

NOTIFICATION Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX ACT, 1979) (AMENDMENT) ACT, 2009

(ACT No. 4 OF 2009)

Further to amend The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979) (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context in the State of Uttarakhand

AN

ACT

IT Is HEREBY enacted in the sixtieth Year of the Republic of India as follows :--

Short title, and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979) (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979 (as applicable to the State of Uttarakhand) a new clause (ff) shall be inserted after clause (f) as follows; namely:--

Amendment of Section 2

- "(ff) 'Direct-to-Home (D.T.H.) Broadcasting Service' means a service for multi-channel distribution of programmes direct to subscriber's premises without passing through an intermediary such as a cable operator by up linking to a satellite system;"
- 3. Clause (g) of section 2 of the principal Act, shall be substituted as follows; namely :--

Substitution of clause (g) of Section 2

"(g) 'Entertainment' includes Direct-to-Home (D.T.H.) Broadcasting service and any exhibition performance, amusement, game, sport or race (including horse race) to which persons are admitted for payment and in the case of cinematograph exhibition includes exhibition of news-real, documentaries, cartoon, advertisement, shorts of slides, whether before or during the exhibition of a feature film or separately;"

By Order,

RAM DATT PALIWAL, Secretary.